बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 30/06/26

श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा जिला खनन कार्यालय, गया में पदस्थापन के दौरान बालूघाटों के बंदोबस्तधारियों / संवेदकों पर आवंटित क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण उनपर अधिरोपित दण्ड को मनमाने ढ़ंग से संशोधित कर आदेश पारित किया गया।

वर्तमान खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा श्रीमती भारती के आदेशों के विरूद्ध माननीय खान आयुक्त न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया। माननीय खान आयुक्त द्वारा तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी के आदेश को खारिज करते हुए पूर्व में अधिरोपित दण्ड को कायम रखने का आदेश पारित किया गया।

श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, गया का उपरोक्त कृत्य उनकी स्वेच्छाचारिता, अनियमितता, कार्य के प्रति लापरवाही, विभागीय आदेश की अवहेलना, संवेदक के पक्ष में कार्य करना, राजस्व के प्रति संवेदनशील नहीं होने का परिचायक होने के साथ–साथ सरकारी राजस्व की बड़ी क्षति पहुँचाने तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त होने से संबंधित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक 3719 दिनांक 08.07.2025 से श्रीमती निधि भारती पर गठित आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन की मांग की गई। श्रीमती भारती द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा तथा आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती निधि भारती, खनिज विकास पदाधिकारी को तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 238 दिनांक 08.01.2026 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया।

श्रीमती निधि भारती द्वारा अपने निलंबन के संबंध में आर्थिक, मानसिक समस्या तथा जीवन यापन में हो रही कठिनाई, तथा माँ की बीमारी को देखते हुए निलंबन मुक्त किये जाने से संबंधित किये गये अनुरोध के आलोक में समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार श्रीमती निधि भारती, खनिज विकास पदाधिकारी, गया (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय अंचल कार्यालय, पटना को निलंबन मुक्त किये जाने से संबंधित लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(6) में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती निधि भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है तथा इनका पदस्थापन खान एवं भूतत्व विभाग (मु0) में तत्काल प्रभाव से किया जाता है। श्रीमती निधि भारती के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/6/26

(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–रा0(आ0)–02/2025–4070/एम0, पटना, दिनांक 30/06/26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/26

सरकार के अपर सचिव।

P.T.O.

D:\Sanjay\arop/Sankalp

ज्ञापांक–प्र0–II–रा0(आ0)–02 / 2025–4070 / एम0, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–II–रा0(आ0)–02 / 2025–4070 / एम0, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपि:– प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया / समाहर्त्ता, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I-रा0(आ0)–03 / 2026–4070 / एम0, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–रा0(आ0)–02 / 2025–4070 / एम0, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपि:– सभी उप निदेशक / सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी / खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–II–रा0(आ0)–02 / 2025–4070 / एम0, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपि :– श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, गया (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय अंचल कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–II–रा0(आ0)–02 / 2025–4070 / एम0, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / राजपत्रित स्थापना शाखा (मु0) / आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

D:\Sanjay\arop/Sankalp